Phone & Fax no. 0135-2658294 E-mail: cfshiwalik@yahoo.co.in

कार्यालय वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक- 1154 /12-1 दिनांक, देहरादून, 27 अक्टूबर 2021

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी (वन संरक्षण)
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय : ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/126632/2021 ग्राम पंचायत पष्टा की मजरा (हरिजन बस्ती) आमवाला मल्लावाला-II से पीपलसार तक भूड़ से मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 3.955 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किए जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : आपका पत्रांक-159/FP/UK/ROAD/126632/2011 दिनांक 15.07.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रस्ताव पर आपके द्वारा लगाई गई बिन्दुवार आपत्तियों का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी, भू0 सं0 वन प्रभाग, कालसी के पत्रांक 1172/12-1 दि0 22.10.2021 से प्राप्त सूचना के आधार पर निम्न प्रकार प्रेषित है :-

क्र0सं0	आपत्ति	आपत्ति के निराकरण हेतु की जा रही कार्यवाही
1	प्रस्ताव में संलग्न लाभान्वित होने वाले ग्रामों की सूची में ग्राम पष्टा मल्लावाला की अंकित किये गये हैं, किन्तु आमवाला, पीपलसार एवं भूड़ ग्राम का उल्लेख नहीं किया है, इसके अतिरिक्त वन अधिकार अधिनियम-2006 के अभिलेखों में मात्र आमवाला एवं मल्लावाला-II व I की मीटिंग का कार्यवृत्त संलग्न किया गया है। शेष दोनों ग्राम पीपलसार एवं भूड़ की मीटिंग का कार्यवृत्त संलग्न ग्रामवासियों के नाम व हस्ताक्षर सहित अंकित कर प्रस्ताव में संलग्न किया जाय।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित मार्ग में आने वाले ग्राम आमवाला एवं मल्लावाला ग्राम पंचायत पष्टा के मजरे हैं। इसलिए लाभान्वित होने वाले ग्रामों की सूची में पष्टा आमवाला मल्लावाला अंकित किया गया है। उक्त मोटर मार्ग में पीपलसार एवं भूड़ गांव की जमीन प्रभावित नहीं हो रही है। अतः इन दोनों ग्रामों का वन अधिकार अधिनियम-2006 हेतु कार्यवृत्त संलग्न नहीं किया गया है।
2	Online Part-1 के बिन्दु संख्या बी-2.3 में Village wise breakup में मात्र ग्राम मल्लावाला ही अंकित किया गया है, पूर्व सूचना अंकित की जाय।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा ऑनलाईन भाग-I के बिन्दु संख्या बी-2.3 में Village wise breakup में पूर्व सूचना अंकित कर ऑनलाईन अपलोड कर दी गई है।
3	प्रस्ताव में संलग्न वृक्षों की मूल्यांकन सूची को प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं किया गया है।	प्रस्ताव में संलग्न वृक्षों की मूल्यांकन सूची को प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर दिया गया है।
4	प्रस्तावित क्षेत्र की राष्ट्रीय/बिनोग वन्य जीव विहार से हवाई दूरी का प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित प्रमाण-पत्र ऑनलाईन भाग-I में अतिरिक्त सूचना के रूप में अपलोड कर दिया गया है।
5	प्रस्ताव में संलग्न फार्म ए भाग-2 में वानस्पतिक घनत्व 0.2 एवं 0.5 अंकित गया किया गया है, किन्तु एन0पी0वी0 Calculation Sheet में प्रस्तावित वन भूमि का वानस्पतिक घनत्व 0.4 से 0.7 अंकित किया गया है, इस विसंगति का निराकरण किया जाय।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रस्ताव में संलग्न वानस्पतिक घनत्व एवं एन0पी0वी0 Calculation Sheet में प्रस्तावित वन भूमि का वानस्पतिक घनत्व सही अंकित कर दिया गया है।
6	प्रस्ताव में संलग्न ऑनलाईन पार्ट-2 में प्रस्तावित परियोजना की वन सीमा से दूरी 0.5 किमी0 प्रदर्शित की गयी है, किन्तु मोटर मार्ग का निर्माण आरक्षित वन भूमि से होकर किया जाना प्रस्तावित है।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा ऑनलाईन भाग-II में प्रस्तावित परियोजना की वन सीमा से दूरी सही अंकित कर दी गई है।

अतः विषयांकित प्रस्ताव मूल 03 प्रतियों में संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया प्रस्ताव की स्वीकृति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अखिलेश तिवारी)
वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, देहरादून।